न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 155/2020

उनवान

ब्रह्म दत्तक पुत्र हजारी जाति गुर्जर निवासी ग्राम कानपुरा, नसीराबाद
—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री राजेश गोमा

बनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादीः– जरियें राज0 पैरोकार

नसीराबाद (जिला–अजमेर) उप खण्ड अधिकारी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 25.11.21

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व प0म0 कानपुरा के खाता संख्या 178/168 किता 8 रकबा 0.56 की आराजी वादी की पुश्तैनी खातेदारी की है। राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी वादी की दत्तक माता गोमा पत्नी हजारी के नाम दर्ज है। वादी के दत्तक माता गोमा व पिता हजारी ने वादी को अपने जीवन काल में हिन्दू रिति रिवाज के अनुसार गोद लिया था। वादी के दत्तक माता पिता के कोई जायन्दा संतान नही है। ग्राम राजपुरा के खाता संख्या 26/28 किता 4 रकबा 2.80 की आराजी पर वादी का नाम हजारी के स्थान पर विधिवत दर्ज कर लिया गया है। अतः ग्राम कानुपरा की आराजी मुतनाजा का खातेदार भी वादी को घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी ने कोई पंजीकृत गोदनामा पेश नही किया है अतः वाद खारिज योग्य है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुताजा पर वादी गोगा व हजारी का दत्तक पुत्र होने से खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?
2 अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख, अन्य खातेदारों की सहमती पत्र पेश किये तथा वादी की जिरह करवायी।
राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।
बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नतः है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 17:00:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

तकी संख्या 1 :–

आराजी मुतनाजा राजस्व अभिलेख में गोगा पत्नी हजारी के नाम दर्ज है। वादी का कथन है कि वह गोगा तथा हजारी के गोद गया हुआ है। तथा हजारी ने अपने जीवनकाल में ही उसे गोद ले लिया था। ग्राम राजपुरा के खाता संख्या 26/28 किता 4 रकबा 2.88 की आराजी पर हजारी के स्थान पर वादी का नाम दर्ज हो चुका है। वादी के जायन्दा पिता का नाम सुरजकरण है। सुरजकरण के एक पुत्र ओर था जिसका नाम काना था। काना की मृत्यु हो गयी है जिसका वारिस रमेश पुत्र काना है। वादी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, अंकतालिका, में भी वादी के पिता का नाम हजारी ही अंकित है। अन्य सह खातेदारों का सहमती पत्र वादी द्वारा पेश किया है जिसमें भी वादी को हजारी का दत्तक पुत्र माना गया है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से वादी हजारी का गोद पुत्र सिद्व होता है। किन्तु वादी का नाम उसके जायन्दा पिता की सम्पति में भी राजस्व अभिलेख अनुसार अंकित है। जिस बाबत वादी द्वारा सहमती पत्र पेश किया है कि सुरजकरण की सम्पति में वादी के नाम के हिस्से की आराजी पर रमेश पुत्र काना का नाम दर्ज किया जावे तो उसे कोई आपत्ति नही है। इस प्रकार पत्रावली में वाद के तथ्यों का काई खण्डन नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से वाद के कथनों की ताईद होती है। तनकी संख्या 1 बहस वादी सिद्व होती है।

अतः वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम कानुपरा के हाल खाता संख्या 178/168 किता 8 रकबा 0.56 की आराजी पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। ग्राम कानपुरा के हाल खाता संख्या 108 किता 6 रकबा 1.06, 1066 किता 18 रकबा 7.18, 1093 किता 2 रकबा 0.17, 1094 किता 3 रकबा 1.91 की आराजी पर ब्रह्रा पुत्र सुरजकरण के हिस्से की आराजी रमेश पुत्र काना के नाम दर्ज की जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 17:00:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

दीपक बनाम शिवजी

दावा बाबत :– 88,188, 92 ए राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 155/2020
पेश करने की दिनांक – 22.12.20

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक राजेश गोमा मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वाद "**स्वीकार**" किया जाता है। ग्राम कानुपरा के हाल खाता संख्या 178/168 किता 8 रकबा 0.56 की आराजी पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। ग्राम कानपुरा के हाल खाता संख्या 108 किता 6 रकबा 1.06, 1066 किता 18 रकबा 7.18, 1093 किता 2 रकबा 0.17, 1094 किता 3 रकबा 1.91 की आराजी पर ब्रह्मा पुत्र सुरजकरण के हिस्से की आराजी रमेश पुत्र काना के नाम दर्ज की जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 25 माह 11 सन् 2021 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 17:00:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner